न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 224/2017

प्रेमकुमार पुत्र रतीराम जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी हाल आबाद वार्ड नं 23 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र रूडाराम जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
2. पूरन पुत्र रूडाराम जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
3. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
4. प्रवेश लता पत्नि श्यामसुन्दर जाति अरोडा निवासी 2 जी–16 जवाहर नगर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. पूनम पत्नि मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
6. सम्पूर्णसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
7. कर्मसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता जलसंसाधन भाखडा परियोजना खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 92ए व 53 आर.टी.ए व 136 एलआर एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री चिमनलाल दुआ	वादी
2. श्री कुन्दनलाल चुघ	प्रतिवादी सं. 8
3. राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 9

दिनांक : 4.12.19

निर्णय

उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 01.04.209 को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना मे पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजीनामा के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया एवं वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सेग्रीग्रेशन के वाद संख्या 170/2019 चक 18 एस डी एस खाता संख्या 30/29 को मुल वाद प्रेमकुमार आदि बनाम नारायण सिंह आदि के साथ समेकित करते हुये निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सेग्रीग्रेशन वाद संख्या 170/2019 का अवलोकन किया गया, तहसीलदार द्वारा पेश वाद पत्र खाता संख्या 30/29 का है एव उक्त वाद पत्र में विचाराधीन आराजी भी खाता संख्या 30/29 से सम्बधित है जो कि सेग्रीग्रेशन के वाद व मुल वाद की आराजी व पक्षकार एक समान है एवं तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव में भी यह कथन किया गया है कि उक्त खाता के सम्बध में सेग्रीग्रेशन का वाद विचाराधीन है एव ऐसी स्थिती में अगर मुल वाद पत्र का निपटारा होता है तो खाता अपवादित होने की वजह से डिक्री की पालना में कानूनी त्रुटियां पैदा होगी एव पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता बढ़ेगी एव

Earlin
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

सेग्रीग्रेशन के वाद में पृथक से सुनवाई करने पर पक्षकारान की तलबी में वादीगण के समय व धन की हानि होगी। इसलिए सेग्रीग्रेशन के वाद संख्या 170/2019 चक 18 एस डी एस खाता संख्या 30/29 को उक्त वाद पत्र के साथ समेकित करते हुये निर्णीत किया जाना न्यायोचित है। विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त के अनुसार भिजवाया गया है एवं सेग्रीग्रेशन के वाद में भी वादी कब्जा काश्त इसी अनुसार दर्शायी गयी है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव एवं सेग्रीग्रेशन के वाद संख्या 170/2019 को अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार एवं सेग्रीग्रेशन के वाद संख्या 170/2019 को अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि – (1) चक 18 एसडीएस जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता सं. 30/29 मु.न. 28 का कि.न. 1 ता 15/3.668 है0 नहरी एवं 0.127 है0 खाला कुल 3.795 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी का वादी प्रेमकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानूसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

(2)सेग्रीगेशन के वाद संख्या 170/2019 के अनूसार चक 18 एस डी एस खाता संख्या 30/29 में शेष बची आराजी मु.न. 27 कि.न. 16 ता 20, 21, 22,23,24,25 में 2.530 है. नहरी मय खाला, मु.न. 40 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 3.795 हे. नहरी मय खाला आराजी में पूनमं पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार 1.771 है., प्रवेशलता पत्नी श्यामसुन्दर जाति अरोड़ा सा. गंगानगर 2.024 है. दर्ज किया जावे। एवं उक्त खाता से शेष प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर, उक्तानूसार ही वादी व पूनम , प्रवेशलता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानूसार ही अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.12.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01
मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 224/2017

प्रेमकुमार पुत्र रतीराम जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी हाल आबाद वार्ड न. 23 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

––वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र रूडाराम जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
2. पूरन पुत्र रूडाराम जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
3. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति ज़टसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
4. प्रवेश लता पत्नि श्यामसुन्दर जाति अरोड़ा निवासी 2 जी–16 जवाहर नगर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. पूनम पत्नि मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
6. सम्पूर्णसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
7. कर्मसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता जलसंसाधन भाखडा परियोजना खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

–––प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 92ए व 53 आर.टी.ए व 136 एलआर एक्ट

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता वादी एवं श्रीकुन्दनलाल चुघ प्रतिवादी संख्या 8, राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 9 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार एवं सेग्रीग्रेशन के वाद संख्या 170/2019 को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि – (1) चक 18 एसडीएस जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता सं. 30/29 मु.न. 28 का कि.न. 1 ता 15/3.668 है0 नहरी एवं 0.127 है0 खाला कुल 3.795 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी का वादी प्रेमकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानूसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। (2)सेग्रीगेशन के वाद संख्या 170/2019 के अनूसार चक 18 एस डी एस खाता संख्या 30/29 में शेष बची आराजी मु.न. 27 कि.न. 16 ता 20, 21, 22,23,24,25 में 2.530 है. नहरी मय खाला, मु.न. 40 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 3.795 हे.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

नहरी मय खाला आराजी में पूनम पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार 1.771 है., प्रवेशलता पत्नी श्यामसुन्दर जाति अरोड़ा सा. गंगानगर 2.024 है. दर्ज किया जावे।

एवं उक्त खाता से शेष प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर, उक्तानुसार ही वादी व पूनम , प्रवेशलता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.12.19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:23:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: